न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 (2019/00006)

नाथूसिंह पुत्र कालूसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर दौराने दावा फौत शुदा बजाय उसके:–
1/1 नंदसिंह पुत्र स्व0 श्री नाथू सिंह
1/2 रमेश पुत्र स्व0 श्री नाथूसिंह
1/3 प्रेम पुत्री स्व0 श्री नाथू सिंह
1/4 मनभर पुत्री स्व0 श्री नाथूसिंह
जाति दरोगा निवासीगण देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमर —प्रार्थीगण

बनाम

1.गोकुल पुत्र श्री कालू सिंह
2.हरिसिंह पुत्र बजरंग
3.मोहनकंवर पत्नि बजरंग सिंह
4.भंवरी देवी पुत्री श्री बजरंग सिंह
5.मधुकंवर पत्नि श्री रामकिशन सिंह
6.सीतादेवी पुत्री श्री रामकिशन सिंह
7.गीतादेवी पुत्री श्री रामकिशन सिंह
8.रामघणी पुत्री श्री रामकिशन सिह
9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
10.उप पंजीयक , उप पंजीयक कार्यालय केकड़ी ——अप्रार्थीगण

उपस्थित:–श्री पवन सिंह भाटी अभिभाषक–प्रार्थीगण
श्री हेमन्त जैन अभिाषक —— अप्रार्थी संख्या 01
श्री विष्णु कुमार साहू—— अप्रार्थीगण संख्या 02 से 08
त्हसीलदार केकड़ी ——पैराकोर सरकार अप्रार्थी संख्या 09 व 10

आदेश

दिनांक 7·4·2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:–

खेवट खतौनी संख्या नया–पुराना	ख.नं.	रकबा है0	किस्म
1054–920	179	2.23	बारानी 1
	306	0.26	नहरी 1
	2033	[illegible]	[illegible]
	कुल किता 03	3.28	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रार्थना पत्र संख्या 03/19(2019/00006)
नाथूसिंह बनाम गोकुल वगैराह
अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधि0
आदेश दिनांक 7.5.21

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 08 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

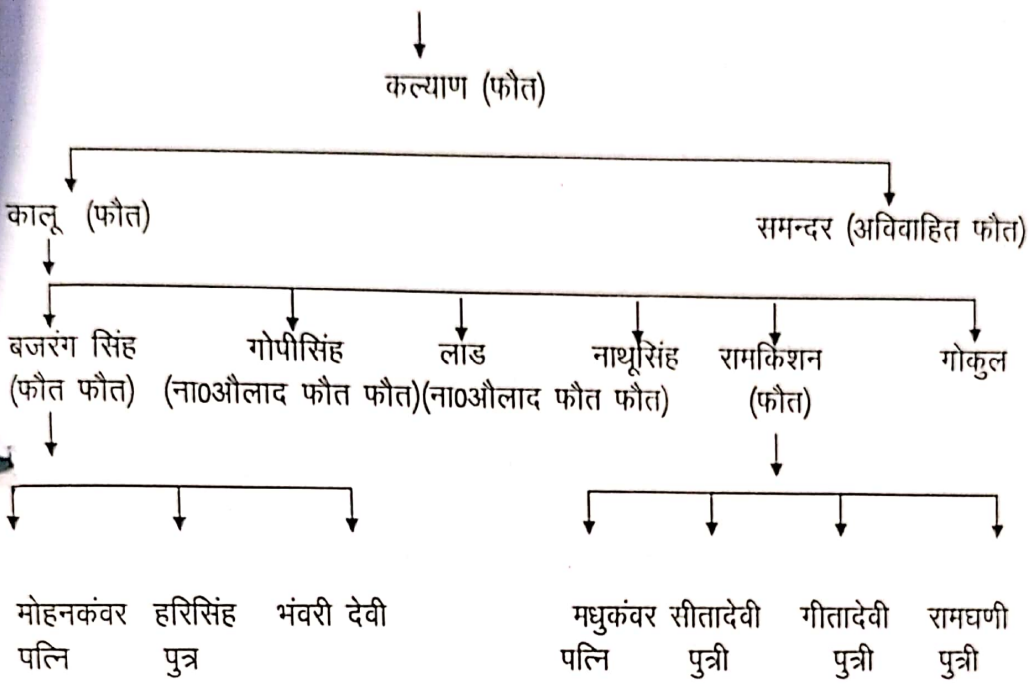

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी असंवत् 2073–2076 मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के काका अप्रार्थी संख्या 2,4,6,7,8 के दादा एव अप्रार्थी संख्या 3 से 05 के काका ससुर स्व0 समन्दर वल्द कल्याण कौम दरोगा सा0 देह के नाम खातेदारी मे दर्ज होती चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी पर खातेदार का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निर्विघ्न रूप से चला आ रहा था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के काका अप्रार्थी संख्या 2,4,6,7,8के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 05 के काका सुसर स्व0 समन्दर वल्द कल्याण का नाऔलाद फौत दिनांक 01.05.2018 को हो चुका है जिसके बाद से ही वर्णित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 08 ही उक्त मृतक के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी होने से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 08 के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त मे निरंतर रूप से चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 ही वर्णित आराजी पर फसल काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 स्व0 समन्दर वल्द कल्याण कौम दरोगा का स्वर्गवास होने के पश्चात अपने अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 स्व0 समन्दर वल्द कल्याण कौम दरोगा का स्वर्गवास होने के पश्चात अपने अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 ही स्वर्गीय समन्दर वल्द कल्याण कौम दरोगा के एकमात्र विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 उक्त वर्णित आराजी मे 1/4 हिस्से का ,अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 को 1[illegible]का तथा अप्रार्थी संख्या 05 से 08 को 1/4 हिस्से का राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत हैं। दिनांक 28.12.2018 को वर्णित आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 के नाम अपने काका/दादा/काका सुसर की विरासत की [illegible] नामान्तरकरण खुलवाने हेतु हल्का पटवारी के पास जाकर मौखिक रूप से निवेदन [illegible]या को हल्का पटवारी ने वादी को कोर्ट से आदेश लेकर आने को कहा। उक्त कारण से प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता हुई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण बमुकाम वाकै ग्राम देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे दिनांक 28.12.2018 को उत्पन्न हुआ तथा उसके बाद अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी का प्राईमाफैसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रार्थना पत्र संख्या 03/19(2019/00006)
नाथूसिंह बनाम गोकुल वगैराह
अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधि0
आदेश दिनांक 7·5·21

08 को व उनके नौकर चाकर हाली सीरी तथा परिवार के सदस्यगण सगे संबंधी आदि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद किया जावे कि वाद वर्णित आराजी मे प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा,व्यवधान या हस्तक्षेप नहीं करे। न ही काश्त शुदा फसल को काटकर ले जावे व न ही किसी प्रकार से रहन,बेचान, बक्षीस या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे। व न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थी वाद वर्णित आराजी से बेदखल हो जावे। तथा अप्रार्थी संख्या 09 को भी पाबंद किया जावे कि राजस्व रेकार्ड मे दौराने वाद किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन तथा नामान्तरकरण की या अन्य कोई कार्यवाही नहीं करे। और अप्रार्थी संख्या 10 को भी पाबंद किया जावे कि दौराने वाद किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अभिभाषक के निवेदन है आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से एक तरफा सुनवाई मे अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रार्थी की मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर संशोधित उनवान प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 08 की और से उनके अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थी को वाद मे सफलता मिलने की कोई सभावना नहीं है प्रार्थी अपना कथन ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित नही किया है सजरा अस्पष्ट व अपूर्ण है जो सही स्थिति प्रकट नहीं करता है। आराजी खसरा नंबर 179,306 व 2333 समुन्दर दरोगा के एकमात्र कब्जे,काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। शेष कथन जैसे वर्णित किये गये कतई गलत एवं असत्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को अस्वीकार है। वादवर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण का कोई कब्जा हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी एकमात्र समुन्द्र के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात थी तथा उसने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजीयात गोपाल जो कि अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र है,को वसीयत कर दी तथा उसकी मृत्यु के उपरांत उक्त आराजी जरिये वसीयत दिनांक 16.12.2009 एवं दुरूस्ती वसीयत दिनांक 06.06.12 के एकमात्र गोपाल के ही कब्जे काश्त मे चली आ रही है तथा वह ही उक्त आराजीयात को काश्त करता चला आ रहा हैं आराजी एक मात्र गोपाल पुत्र गोकल के कब्जे काश्त मे चली आ रही है तथा वही ही उसका जरिये वसीयत मालिक हो चुका है। वादग्रस्त आराजीयात एकमात्र गोपाल पुत्र गोकुल जाति दरोगा के कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजीयात है। प्रार्थी ने रजिस्टर्ड वसीयत की जानकारी के उपरांत अवैध रूप से आराजीयात को अपने नाम करवाये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई मूल कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। अतिरिक्त कथन मे बताया कि वादवर्णित आराजीयात एकमात्र गोपाल पुत्र गोकल जाति दरोगा निवासी देवगॉव के कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजीयात है जिस संबंध मे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने को कोई अधिकार नहीं है। तथा इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय तहसीलदार केकड़ी द्वारा मुकदमा नंबर 39/2018 अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2)के तहत दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 11.01.2019 के द्वारा [illegible] आराजीयात को गोपाल पुत्र गोकल दरोगा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान [illegible] वसीयत के द्वारा नामान्तरकरण हेतु दैनिक नव ज्योति अखबार मे दिनांक 14.11.2018 को [illegible] प्रकाशित करवाई थी,किन्तु उसके उपरांत भी प्रार्थी ने कोई ऐतराज प्रस्तुत [illegible] आराजीयात मे अपना हक बताते हुए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया है जो रेस [illegible] जुडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। वसीयतनामा दिनांक 16.02.2009 व 06.06.2012 को चैलेज किये बिना प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। गोपाल पुत्र गोकुल दरोगा को पक्षकार बनाये बिना भी प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत होने बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रार्थना पत्र संख्या 03/19(2019/00006)
नाथूसिंह बनाम गोकुल वगैराह
अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधि0
आदेश दिनांक 7.4.21

प्रार्थी के लायक वकील ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि समन्दर वल्द कल्याण दरोगा नाऔलाद फौत हुआ है। उसके प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 08 वारिसान है अन्य कोई वारिसान नहीं है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 को व उनके नौकर चाकर हाली सीरी तथा परिवार के सदस्यगण सगे संबंधी आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे कि वाद वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा व्यवधान या हस्तक्षेप नहीं करे न ही काश्त शुदा फसल को काटकर ले जावे। व न ही किसी प्रकार से रहन बेचान बक्षीस या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे व न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थी वादवर्णित आराजी से बेदखल हो जावे। तथा अप्रार्थी संख्या 09 को भी पाबंद किया जावे कि राजस्व रेकार्ड मे दौराने वाद किसी प्रकार का परिवर्तन,परिवर्धन तथा नामान्तरकरण की या अन्य कोई कार्यवाही नहीं करे। ओर अप्रार्थी संख्या 10 को भी पाबंद किया जावे कि दौराने वाद किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थीगण के लायक वकील ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार केकड़ी द्वारा मुकदमा नंबर 39/2018 अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2)के तहत दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 11.01.2019 के द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात को गोपाल पुत्र गोकल दरोगा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये थे तथा वसीयत के द्वारा नामान्तरकरण हेतु दैनिक नव ज्योति अखबार मे दिनांक 14.11.2018 को सूचना भी प्रकाशित करवाई थी,किन्तु उसके उपरांत भी प्रार्थी ने कोई ऐतराज प्रस्तुत नहीं कर अवैध रूप से आराजीयात मे अपना हक बताते हुए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया है जो रेस ज्युडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। वसीयतनामा दिनांक 16.02.2009 व 06.06.2012 को चैलैज किये बिना प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। गोपाल पुत्र गोकुल दरोगा को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 09 पैरोकार सरकार ने वसीयत रजिस्टर्ड होना बताया।

मैने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो सारभूत बिन्दु अपने पक्ष मे साबित कर पा रहे है अथवा नही। प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति ? प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की वसीयत खातेदार समन्दर द्वारा अपने जीवनकाल मे गोपाल पुत्र गोकल दरोगा के नाम रजिस्टर्ड करवा दी है जिसे खारिज किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है,ऐसा कोई दस्तावेजात भी पत्रावली पर उपलध्ध नही है जिससे विवादग्रस्त आराजी पैतृक सिद्ध होती हो। जिससे प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति होना प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। जिससे प्रश्न गत भूमि पर प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अ[illegible]ट का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे बाद शहादत तय होगा। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner